

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम गोमर लाल मनोराम झादि

दावा बाबत :- 8.8.2021

मुकदमा नम्बर :- 352/2021

निर्णय दिनांक :- 2-12-2021

वादी की ओर से वकील लालचन्द गोबर की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील दलाप सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 2-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राही मौजा डोडा पट्टा के खाला सं० 59/61 के खसरा सं० 78/1, 137/71, 49, 50, 70 कुल पुं. 596 हे. कारानी खातोदारी ह्यि मुनि प्रतिवादी सं० 1 मनोराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस प्रतिवादी सं० 1 मनोराम अकेले के बजाए वादी अकलाल प्रतिवादी सं० 1 मनोराम, प्रतिवादी सं० 2 सुनील, व प्रतिवादी सं० 3 सुनील कुमार को बहिष्कार कराकर के खातोदार कारनामा घोषित किया जावे यदि ह्यि मुनि वक के रदन हो तो रदनमूल हीन के उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में अमल कराने किया जावे / राजी नामा को डिक्री को मांग पढा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।  
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हुनमांगढ़  
प्र.ग. के संग 30-2021  
कैम्प कुंती